



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2016/वैशाख 9, 1938

No. 162]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2016/ VAISAKHA 9, 1938

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2016

सं. एल-1/18/2010-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010, (जिन्हें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ

- (1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (चौथा संशोधन) विनियम, 2016 है।
(2) यह विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे सिवाय उप-विनियम 6.3ख के, जो उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे आयोग राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन : मूल विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खण्ड (झझझझ) के पश्चात् निम्नलिखित नए खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

"(जजजज) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख या "सीओडी" का वही अर्थ होगा जो इन विनियमों के उप-विनियम 6.3क 1, 6.3क 2 और 6.3क 4 में है।

(टटटट) ट्रायल प्रचालन या ट्रायल रन का वही अर्थ होगा जो इन विनियमों के उप-विनियम 6.3क.3 और 6.3क.5 में है।

(ठठठठ) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र और अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्र के संबंध में तकनीकी न्यूनतम अनुसूची का वही अर्थ होगा जो इन विनियमों के उप-विनियम 6.3ख में है।

3. मूल विनियम के विनियम 6.1 का संशोधन : मूल विनियमों के विनियम 6.1 के खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा :

"(ङ) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों, अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों और अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणालियों के वाणिज्यिक प्रचालन की और केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों एवं अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों के प्रचालन के लिए तकनीकी न्यूनतम अनुसूची की घोषणा के लिए प्रक्रिया"

4. मूल विनियम के विनियम 6.2 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 6.2 के प्रथम पैरा के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

“इस कोड में केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों, अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों तथा अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली और केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों एवं अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों के प्रचालन के लिए तकनीकी न्यूनतम अनुसूची की घोषणा के लिए प्रक्रिया और मकैनिज्म के लिए भी व्यवस्था है।”

5. नए विनियम का जोड़ा जाना :

मूल विनियम के विनियम 6.3 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएंगे:

***6.3क केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों और अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों का वाणिज्यिक प्रचालन**

1. थर्मल केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों या अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्र के यूनिट के मामले में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से सफल ट्रायल रन के माध्यम से और, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी से क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद, और समग्र रूप से उत्पादन केन्द्र के मामले में, उत्पादन केन्द्र के अंतिम यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख नामित ईंधन पर अधिकतम सतत रेटिंग या स्थापित क्षमता या नेम प्लेट रेटिंग के तदनुसूची यूनिट क्षमता के प्रदर्शन के बाद उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित तारीख अभिप्रेत है।

परन्तु यह कि:

- (i) जहां हिताधिकारियों/क्रेताओं को उत्पादन केन्द्र से विद्युत के क्रय के लिए जोड़ा गया है, वहां ट्रायल रन या प्रत्येक ट्रायल रन का दोहराव हिताधिकारियों/क्रेताओं तथा, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी, को उत्पादन कंपनी द्वारा 7 दिनों के अन्यून नोटिस के बाद आरंभ किया जाएगा।
- (ii) जहां हिताधिकारी/क्रेताओं को उत्पादन केन्द्र से विद्युत के क्रय के लिए नहीं जोड़ा गया है वहां ट्रायल रन या ट्रायल रन का दोहराव, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी, को उत्पादन कंपनी द्वारा 7 दिनों के अन्यून नोटिस के बाद आरंभ किया जाएगा।
- (iii) उत्पादन कंपनी यह प्रमाणित करेगी कि:
 - (क) उत्पादन केन्द्र, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के तकनीकी मानक (विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाईनों के संनिर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 तथा यथा लागू भारतीय विद्युत ग्रिड कोड की सुसंगत अपेक्षाओं तथा उपबंधों की पूर्ति करते हैं।
 - (ख) ईंधन तेल प्रणाली, कोयला संचालन संयंत्र, डी.एम. संयंत्र, उपचार पूर्व संयंत्र, अग्निशामक प्रणाली, भस्म निपटान प्रणाली और कोई अन्य स्थानिक विनिर्दिष्ट प्रणाली जैसे संयंत्र के संतुलन सहित मुख्य संयंत्र उपस्कर एवं सहायक प्रणालियों को आरंभ किया गया है और संगत आधार पर उत्पादन केन्द्रों के यूनिटों के पूर्ण भार प्रचालन के लिए सक्षम है।
 - (ग) आपात आपूर्तियों एवं सभी आवश्यक उपकरण, नियंत्रण और सुरक्षा प्रणालियों तथा पूर्ण भार प्रचालन के लिए आटोलूप्स सहित स्थायी विद्युत आपूर्ति प्रणाली को सेवा में लगा दिया गया है।
- (iv) उक्त खण्ड (iii) के अधीन यथाअपेक्षित प्रमाणपत्रों को उत्पादन कंपनी के सीएमडी/सीईओ/एमडी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और प्रमाणपत्र की प्रति वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा से पूर्व संबंधित प्रादेशिक विद्युत समिति के सदस्य सचिव तथा संबंधित आरएलडीसी/एसएलडीसी को प्रस्तुत की जाएगी। उत्पादन कंपनी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के 3 महीने की अवधि के अंदर खण्ड (iii) के अधीन यथाअपेक्षित प्रमाणपत्रों को निदेशक मण्डल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।
- (v) ट्रायल रन को इन विनियमों के विनियम 6.3क.3 के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।
- (vi) आंशिक भार की अनुमति इस शर्त के साथ दी जा सकेगी कि ट्रायल रन की अवधि के दौरान औसत भार व्यवधान की अवधि और आंशिक भार को छोड़कर लेकिन तदनुसूची विस्तारित अवधि शामिल करते हुए, अधिकतम सतत रेटिंग या स्थापित क्षमता या नेम प्लेट रेटिंग से कम नहीं होगी।
- (vii) जहां ट्रायल रन के आधार पर उत्पादन केन्द्र का यूनिट अधिकतम सतत रेटिंग या स्थापित क्षमता या नेम प्लेट रेटिंग की तदनुसूची यूनिट क्षमता को प्रदर्शित करने में असफल रहता है तो उत्पादन कंपनी के पास क्षमता को डी-रेट करने या ट्रायल रन के दोहराव का विकल्प है, जहां उत्पादन कंपनी यूनिट क्षमता को डी-रेट करने का निर्णय करती है वहां इस प्रकार के मामलों में प्रदर्शित क्षमता डी-रेट क्षमता के 105 प्रतिशत से अधिक या बराबर होगी।
- (viii) यथास्थिति, आरएलडीसी या एसएलडीसी ट्रायल रन पर आधारित उत्पादन डाटा की प्राप्ति के होने के 7 दिनों के अंदर वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा के लिए उत्पादन कंपनी को क्लीयरेंस भेजेगा।
- (ix) यदि यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी को ट्रायल रन में किसी प्रकार की त्रुटियां नजर आती हैं तो वे उन्हें ट्रायल रन पर आधारित उत्पादन डाटा की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर उत्पादन कंपनी को भेजेंगे।

- (x) उत्पादन केन्द्र या उसके यूनिट से विद्युत का अनुसूचीकरण वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा के बाद 00.00 घण्टों से आरंभ होगा।
2. पंपित स्टोरेज हाइड्रो उत्पादन केन्द्र सहित हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के उत्पादन यूनिट से संबंधित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से सफल ट्रायल रन के माध्यम से उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता की तदनुसूची प्रदर्शनकारी पीकिंग क्षमता के बाद उत्पादन कंपनी द्वारा घोषित तारीख अभिप्रेत है और, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी से, क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद होगी और समग्र रूप से उत्पादन केन्द्र से संबंधित, उत्पादन केन्द्र के अंतिम उत्पादन यूनिट की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद होगी।
- परन्तु यह कि :
- (i) जहां हिताधिकारियों/क्रेताओं को उत्पादन केन्द्र से विद्युत के क्रय के लिए जोड़ा गया है, वहां ट्रायल रन या प्रत्येक ट्रायल रन का दोहराव हिताधिकारियों/क्रेताओं तथा, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी, को उत्पादन कंपनी द्वारा 7 दिनों के अन्यून नोटिस के बाद आरंभ किया जाएगा।
- (ii) जहां हिताधिकारी/क्रेताओं को उत्पादन केन्द्र से विद्युत के क्रय के लिए नहीं जोड़ा गया है वहां ट्रायल रन या ट्रायल रन का दोहराव, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी, को उत्पादन कंपनी द्वारा 7 दिनों के अन्यून नोटिस के बाद आरंभ किया जाएगा।
- (iii) उत्पादन कंपनी यह प्रमाणित करेगी कि:
- (क) उत्पादन केन्द्र या उसके यूनिट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के तकनीकी मानक (विद्युत संयंत्रों एवं विद्युत लाईनों के संनिर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम 2010 तथा यथा लागू भारतीय विद्युत ग्रिड कोड की अपेक्षाओं तथा सुसंगत उपबंधों की पूर्ति करते हैं।
- (ख) ड्रेनेज डीवाटरिंग प्रणाली, प्राथमिक एवं द्वितीयक शीतलन प्रणाली, एलपी एवं एचपी वायु सम्पीडक, अग्निशमक प्रणाली इत्यादि सहित मुख्य संयंत्र उपकरण और सहायक प्रणालियों को आरंभ कर दिया गया है और संगत आधार पर यूनिटों के पूर्ण भार प्रचालन के लिए सक्षम हैं।
- (ग) आपात आपूर्तियों एवं सभी आवश्यक उपकरण, नियंत्रण और सुरक्षा प्रणालियों तथा यूनिट के पूर्ण भार प्रचालन के लिए आटोलूप्स सहित स्थायी विद्युत आपूर्ति प्रणाली को सेवा में लगा दिया गया है।
- (iv) उक्त खण्ड (iii) के अधीन यथाअपेक्षित प्रमाणपत्रों को उत्पादन कंपनी के सीएमडी/सीईओ/एमडी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और प्रमाणपत्र की प्रति वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा से पूर्व संबंधित प्रादेशिक विद्युत समिति के सदस्य सचिव तथा संबंधित आरएलडीसी/एसएलडीसी को प्रस्तुत की जाएगी। उत्पादन कंपनी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के 3 महीने की अवधि के अंदर खण्ड (iii) के अधीन यथाअपेक्षित प्रमाणपत्रों को निदेशक मण्डल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।
- (v) ट्रायल रन इन विनियमों के विनियम 6.3क.3 के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा।
- (vi) जहां ट्रायल रन के आधार पर, उत्पादन केन्द्र का यूनिट अधिकतम सतत रेटिंग या स्थापित क्षमता या नेम प्लेट रेटिंग की तदनुसूची यूनिट क्षमता को प्रदर्शित करने में असफल रहता है तो उत्पादन कंपनी के पास क्षमता को डी-रेट करने या ट्रायल रन के दोहराव का विकल्प है, जहां उत्पादन कंपनी यूनिट क्षमता को श्रेणीविहीन करने का निर्णय करती है वहां इस प्रकार के मामलों में प्रदर्शित क्षमता श्रेणीविहीन क्षमता के 110 प्रतिशत से अधिक या बराबर होगी।
- (vii) पोण्डेज या स्टोरेज सहित हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के मामले में अपर्याप्त जलाशय या पोण्ड स्तर के कारणों के लिए संस्थापित क्षमता की तदनुसूची पीकिंग क्षमता के प्रदर्शन के लिए समर्थ नहीं है, वहां उत्पादन केन्द्र का अंतिम यूनिट की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख समग्र रूप से उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के रूप में मानी जाएगी और, यथास्थिति, उत्पादन केन्द्र या उसका यूनिट, के स्थापित क्षमता के समतुल्य पीकिंग क्षमता के प्रदर्शन के लिए, जब कभी भी इस प्रकार जलाशय/पोण्ड स्तर प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार के हाइड्रो उत्पादन केन्द्र के लिए अनिवार्य होगी।
- (viii) यदि रन आफ रिवर हाइड्रो उत्पादन केन्द्र या उसका यूनिट क्षीण अंतर्प्रवाह अवधि के दौरान वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया जाता है जब जल अंतर्प्रवाह पीकिंग क्षमता के इस प्रकार के प्रदर्शन के लिए अपर्याप्त है तो स्थापित क्षमता के समतुल्य पीकिंग क्षमता के प्रदर्शन के लिए इस प्रकार, के हाइड्रो उत्पादन केन्द्र या उसके यूनिट के लिए अनिवार्य होगा जब कभी पर्याप्त जल अंतर्प्रवाह उपलब्ध है। पीकिंग क्षमता के प्रदर्शन के लिए असफलता की स्थिति में यूनिट क्षमता वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रदर्शित क्षमता के लिए डी-रेट होगी।

- (ix) यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी ट्रायल रन पर आधारित उत्पादन डाटा की प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर उत्पादन कंपनी को क्लियरेंस की सहमति देगा।
- (x) यदि यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी ट्रायल रन में किसी प्रकार की कमी को नोटिस करते हैं तो इसे ट्रायल रन पर आधारित उत्पादन डाटा की प्राप्ति के 7 दिनों के अन्दर उत्पादन कंपनी को प्रेषित किया जाएगा।
- (xi) अनुसूचीकरण वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा के बाद 00.00 से आरंभ होगा।
3. ट्रायल रन या ट्रायल प्रचालन : थर्मल केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र या अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्र या उसकी यूनिट से संबंधित ट्रायल रन या ट्रायल प्रचालन से 72 घण्टों की सतत अवधि के लिए अधिकतम सतत रेटिंग या संस्थापित क्षमता या नेम प्लेट रेटिंग पर नामित ईंधन पर उत्पादन केन्द्र या उसके यूनिट का सफलतापूर्वक रनिंग अभिप्रेत है और हाइड्रो केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र या अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्र या उसके यूनिट के मामले में 12 घण्टों की सतत अवधि के लिए लगातार रनिंग होगा :
- परन्तु यह कि :
- (i) चार घण्टों की संचयी अवधि के लिए अल्प व्यवधान परीक्षण की अवधि में तदनुसूची वृद्धि सहित अनुज्ञेय होगा। चार घण्टों से अधिक का संचयी व्यवधान ट्रायल प्रचालन या ट्रायल रन के दोहराव की मांग करेगा।
- (ii) आंशिक भार की अनुमति इस शर्त के साथ दी जा सकेगी कि ट्रायल रन की अवधि के दौरान औसत भार अधिकतम सतत श्रेणी या संस्थापित क्षमता या नेमप्लेट रेटिंग से कम नहीं होगी जिसमें व्यवधान और आंशिक भार की अवधि शामिल नहीं है लेकिन तदनुसूची विस्तारित अवधि शामिल है।
- (iii) जहां हिताधिकारियों को उत्पादन केन्द्र से विद्युत के क्रय के लिए जोड़ा गया है वहां ट्रायल रन या ट्रायल रन का प्रत्येक दोहराव हिताधिकारियों तथा, यथास्थिति, संबंधित आरएलडीसी या एसएलडीसी, के लिए उत्पादन कंपनी द्वारा 7 दिनों से कम की अवधि के नोटिस के बाद आरंभ होगा।
- (iv) थर्मल और हाइड्रो केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों या अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों का यूनिट 105 प्रतिशत तक या इसके एमसीआर का 110 प्रतिशत या, यथास्थिति, संस्थापित क्षमता और नेमप्लेट रेटिंग तक भार बढ़ाने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करेगा।
4. अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली या उसके घटक से संबंधित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 00.00 घण्टे से पारेषण अनुज्ञापिधारी द्वारा घोषित तारीख अभिप्रेत है, जिसमें पारेषण प्रणाली का एक घटक भेजने वाले से प्राप्त करने वाले तक पारेषण विद्युत और संचरण सिग्नल के लिए सफल ट्रायल प्रचालन के बाद नियमित सेवा है।
- परन्तु यह कि:
- (i) प्रतिस्पर्धात्मक बोली पर आधारित टैरिफ के माध्यम से निष्पादित अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के मामले में, पारेषण अनुज्ञापिधारी पारेषण सेवा करार के उपबंधों के अनुसार आईएसटीएस की परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख घोषित करेगा।
- (ii) जहां पारेषण लाइन या उपकेन्द्र विशेष उत्पादन केन्द्र से विद्युत की निकासी के लिए समर्पित है और समर्पित पारेषण लाइन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से भिन्न कार्यान्वित की जा रही है वहां संबंधित उत्पादन कंपनी और पारेषण अनुज्ञापिधारी, जहां तक व्यवहार्य हो, उत्पादन केन्द्र पारेषण प्रणाली साथ-साथ आरंभ करने का प्रयास करेंगे और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम 2014 या किसी पश्चात्पूर्ती संशोधन या इसके पुनर्विनियमन के सुसंगत उपबंधों के अनुसार उपयुक्त कार्यान्वयन करार के माध्यम से उसको सुनिश्चित करेगा। यदि उत्पादक को समर्पित पारेषण लाइन या उपकेन्द्र टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है तो पारेषण लाइन/उपकेन्द्र एवं उत्पादन केन्द्र को आरंभ करने का मिलान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मॉनिटर किया जायेगा।
- (iii) जहां पारेषण अनुज्ञापिधारी (माने गए पारेषण अनुज्ञापिधारी सहित) द्वारा निष्पादित पारेषण प्रणाली किसी अन्य पारेषण अनुज्ञापिधारी (माने गए पारेषण अनुज्ञापिधारी सहित) संबद्ध किया जाना अपेक्षित है और दोनों पारेषण प्रणालियां टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से भिन्न ढंग से निष्पादित की गई है तो पारेषण अनुज्ञापिधारी जहां तक व्यवहार्य हो अन्य अनुज्ञापिधारी की पारेषण प्रणाली सहित इसकी पारेषण प्रणाली को आरंभ करते हुए मिलान करने का प्रयास करेगा और उपयुक्त कार्यान्वयन करार के माध्यम से उसे सुनिश्चित करेगा। जहां कोई पारेषण प्रणालियां या दोनों टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है वहां मिलान समय अनुसूची में पारेषण प्रणालियों के कार्यान्वयन की प्रगति केन्द्रीय विद्युत विनियामक द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है।
- (iv) यदि पारेषण प्रणाली या उसका घटक को पारेषण अनुज्ञापिधारी (माने गए पारेषण अनुज्ञापिधारी सहित) या इसके आपूर्तिकर्ता या इसके कांटेक्टर्स के लिए उत्तरदायी योग्य नहीं कारणों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को या उससे पूर्व नियमित सेवा से रोका जाता है लेकिन जो संबंधित उत्पादन केन्द्र या

अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम पारेषण प्रणाली के आरंभ करने में कारण बनता है तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (माने गए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सहित) इस प्रकार की पारेषण प्रणाली या उसके घटक के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के अनुमोदन के लिए उपयुक्त आवेदन के माध्यम से आयोग से संपर्क करेगा।

- (v) इस एक घटक को केवल सभी घटकों के बाद प्राप्त वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के लिए घोषित करना होगा जो पारेषण सेवा करार के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख प्राप्त करने के लिए पूर्व अपेक्षा है। यदि कोई घटक पूर्व अपेक्षित घटक के आरंभ होने के पूर्व आरंभ होना अपेक्षित है तो उसे तभी किया जा सकता है यदि सीईए यह पुष्टि करती है कि इस प्रकार का आरंभ करना विद्युत प्रणाली के हित में है।
- (vi) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सीएमडी/सीईओ/एमडी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि सुसंगत ग्रिड मानक, ग्रिड कोड के लिए पुष्टि की गई पारेषण लाइन, उपकेन्द्र और पारेषण प्रणाली को आरंभ कर दिया गया है और यह उनकी पूर्ण क्षमता के लिए प्रचालन के लिए समर्थ हो गए हैं।

5. पारेषण प्रणाली या उसके घटक के संबंध में ट्रायल रन और ट्रायल प्रचालन से विद्युत के सतत प्रवाह पर 24 घंटों के लिए पारेषण प्रणाली या उसके घटक का सफलतापूर्वक चार्जिंग अभिप्रेत है और संबंधित प्रादेशिक भार पारेषण से इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करते हुए सेवा में संरक्षण प्रणाली एवं अपेक्षित मिटरिंग प्रणाली, टेलीमिटरि सहित भेजने वाली अंत से प्राप्त करने वाले अंत तक पारेषण सिग्नल होगा।

टिप्पण : इस उप-विनियम में निर्दिष्ट पारेषण अनुज्ञप्तिधारी में, अधिनियम के उपबंध के अनुसार "समझा गया पारेषण अनुज्ञप्तिधारी" सम्मिलित है।

6. संचार प्रणाली या उसके घटक के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 00.00 घंटों से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा घोषित तारीख अभिप्रेत है जिसमें संचार प्रणाली या उसका घटक संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथा प्रमाणित संबंधित नियंत्रण केन्द्र को डाटा एवं आवाज के अंतरण सहित स्थान स्वीकृति परीक्षण के पूरा होने के बाद सेवा में रखा जाएगा।
7. इन विनियमों के उप-विनियम 6.3क 1 से 6.3क 6 में तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निबंधन एवं शर्तों), विनियम 2014 या उसकी कोई पश्चात्पूर्ती अधिनियमन में यथाविनिर्दिष्ट ट्रायल एवं वाणिज्यिक प्रचालन से संबंधित उपबंधों के बीच असंगति की स्थिति में, इन विनियमों के उपबंध अभिभावी होंगे।

6.3ख - केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों एवं अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों के प्रचालन के लिए तकनीकी न्यूनतम अनुसूची

- 1 केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों या अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों के यूनिट या यूनिटों के संबंध में प्रचालन के लिए तकनीक न्यूनतम अनुसूची एमसीआर भार का 55 प्रतिशत या उत्पादन केन्द्र के यूनिट की संस्थापित क्षमता होगी।
- 2 किसी सीजीएस या आईएसजीएस को संबंधित आरएलडीसी द्वारा निर्देश दिया जा सकेगा कि तकनीक न्यूनतम अनुसूची पर या इससे अधिक पर लेकिन ग्रिड सुरक्षा के कारण या हिताधिकारियों द्वारा दी गई कमतर अनुसूचियों के कारण यह सामान्यात्मक संयंत्र उपलब्धता घटक से कम पर प्रचालित किया जाए।
- 3 जहां सीजीएस या आईएसजीएस को, जिनका टैरिफ आयोग द्वारा या तो अवधारित या अंगीकार किया गया है, संबंधित आरएलडीसी द्वारा निर्देश दिया जाए कि वे मानकीय संयंत्र उपलब्धता घटक के नीचे लेकिन न्यूनतम तकनीक के ऊपर प्रचालन करें। इसलिए सीजीएस या आईएसजीएस को, यथास्थिति आरएलडीसी या एसएलडीसी, द्वारा सत्यापित संगत डाटा द्वारा विधिवत रूप से समर्थित मासिक आधार पर फोर्स आउटटेजिस, नियोजित आउटटेजिस, पीएलएफ, उत्पादक टर्मिनल पर उत्पादन, ऊर्जा सेन्टआउट एक्सबस, नम्बर आफ स्टार्ट/स्टॉप, द्वितीयक ईंधन तेल खपत एवं सहायक ऊर्जा खपत, स्टेशन हीट दर, सहायक ऊर्जा खपत और द्वितीयक ईंधन तेल उपभोग आदि के वास्तविक एवं मानकीय प्रचालन पैरामीटरों पर विचार करते हुए विधिवत रूप से औसत यूनिट भार पर निर्भर करते हुए क्षतिपूर्ति की जाए।

परन्तु यह कि :

- (i) कोयला/लिग्नाइट आधारित उत्पादन केन्द्रों की स्थिति में निम्नलिखित स्टेशन हीट दर अपकर्ष या वास्तविक हीट दर, जो भी कम हो, पर क्षतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा :

क्र.सं.	यूनिट की संस्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में यूनिट भार	एसएचआर में वृद्धि (अतिविवेचनीय यूनिटों के लिए) (प्रतिशत)	एसएचआर में वृद्धि (उपविवेचनीय यूनिटों के लिए) (प्रतिशत)
1	85-100	शून्य	शून्य
2	75-84.99	1.25	2.25
3	65-74.99	2	4
4	55-64.99	3	6

- (ii) कोयला/लिग्नाइट आधारित उत्पादन केन्द्रों की स्थिति में निम्नलिखित सहायक ऊर्जा खपत अपकर्ष या वास्तविक, जो भी कम हो, पर क्षतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा :

क्र.सं.	यूनिट भार (एमसीआर का प्रतिशत)	अनुज्ञेय एईसी में % अपकर्ष
1	85-100	शून्य
2	75-84.99	0.35
3	65-74.99	0.65
4	55-64.99	1.00

- (iii) जहां अनुसूचित उत्पादन तकनीकी न्यूनतम अनुसूची से कम है वहां संबंधित सीजीएस या आईएसजीएस के पास आरक्षित बंद के लिए विकल्प होगा और इस प्रकार के मामलों में, स्टार्टअप ईंधन लागत एक वर्ष में (7) स्टार्ट/स्टॉप के अतिरिक्त निम्नलिखित मानदण्डों या वास्तविक, जो भी कमतर हो, पर आधारित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में विचार किया जाएगा :

यूनिट आकार (एमडब्ल्यू)	प्रति स्टार्ट अप (केएल) तेल खपत		
	उष्ण	गरम	ठण्डा
200/210/250 एमडब्ल्यू			
500 एमडब्ल्यू	20	30	50
660 एमडब्ल्यू	30	50	90
	40	60	110

- (iv) गैस आधारित केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र या अंतर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों की स्थिति में, क्षतिपूर्ति, विनिर्माता द्वारा प्रदत्त विशेषता वक्र के आधार पर तथा स्टेशन हीट दर, सहायक ऊर्जा खपत इत्यादि के वास्तविक पैरामीटरों की विवेकी जांच के बाद विनिश्चित की जाएगी।
- (v) स्टेशन हीट दर और सहायक ऊर्जा खपत के लिए क्षतिपूर्ति ऊर्जा प्रभारों के अनुसार निकाली जाएगी।
- (vi) इस प्रकार क्षतिपूर्ति उस अस्तित्व द्वारा वहन की जाएगी जो आरपीसी द्वारा अंतिम रूप दिए गए क्षतिपूर्ति मकैनिज्म पर आधारित न्यूनतम तकनीक अनुसूची तक मानकीय संयंत्र उपलब्धता घटक की तदनुसूची की अपेक्षा कम अनुसूची पर प्रचालित किए जाने वाले संयंत्र का कारण बने है।
- (vii) हीट दर अपकर्ष और सहायक ऊर्जा खपत के लिए कोई क्षतिपूर्ति ग्राह्य नहीं होगी यदि वास्तविक हीट दर और/या वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत यूनिट या उत्पादन केन्द्र के लिए लागू मानकीय स्टेशन हीट दर और/या मानकीय सहायक ऊर्जा खपत से कम है।
- (viii) स्टेशन हीट दर, सहायक ऊर्जा खपत और द्वितीयक तेल खपत के वास्तविक भारत औसत प्रचालनगत पैरामीटरों के विचार को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष के अंत में क्षतिपूर्ति का सामंजस्य होगा।
- (ix) हीट दर अपकर्ष और सहायक ऊर्जा खपत के लिए कोई क्षतिपूर्ति ग्राह्य नहीं होगी यदि वास्तविक हीट दर और/या वास्तविक सहायक ऊर्जा खपत वर्ष के अंत में वार्षिक सामंजस्य के बाद या माह में उत्पादन केन्द्र या यूनिट के लिए लागू मानकीय स्टेशन हीट दर और/या मानकीय सहायक खपत से कम है।
- (x) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुषंगी सेवा प्रचालन) विनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन ऊर्जा की अनुसूची में परिवर्तन करने पर क्षतिपूर्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- 4 ऐसे उत्पादन केन्द्र की दशा में, जिसका टैरिफ आयोग द्वारा अवधारित या अंगीकार नहीं किया गया है, संबंधित उत्पादन कंपनी को तकनीकी न्यूनतम अनुसूची में प्रचालन के लिए दावा प्रतिपूर्तियों के उद्देश्य से विद्युत की बिक्री के लिए इसके द्वारा प्रविष्ट पीपीए में पूर्वोक्त उपबंधों को गुणक करना होगा।
- 5 उत्पादन कंपनी आंशिक भार प्रचालन के कारण संयंत्र से उत्सर्जन स्तरों का अभिलेख रखेगी और वर्ष की 31 मई तक आयोग को प्रत्येक वर्ष के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- 6 एनएलडीसी, दो मास के भीतर आरपीसी फोरम में उत्पादकों और हिताधिकारियों के साथ परामर्श करके, विस्तृत प्रचालन प्रक्रिया तैयार करेगा तथा उसे अनुमोदन के लिए आयोग को भेजेगा। विस्तृत प्रचालन प्रक्रिया में, विभिन्न अभिकरणों की भूमिका, आंकड़ें अपेक्षाएं, आरक्षित बंद के लिए यूनिटों के लिए प्रक्रिया तथा विनिर्दिष्ट ग्रिड परिस्थितियों जैसे न्यूनतम प्रणाली मांग, ऊर्जा प्रदाय विनियमन तथा गुणावगुण स्टेकिंग पर आधारित उच्च नवीकरणीय के प्रभाव आदि, में तकनीकी न्यूनतम तक बैकडाउन किए जाने वाले उत्पादन केन्द्रों या उनकी यूनिटों को पहचानने वाली पद्धति अंतर्विष्ट होगी।
- 7 आरपीसी, आरपीसी फोरम में उत्पादकों और हिताधिकारियों के साथ परामर्श करके और हिताधिकारियों द्वारा इसकी शेरिंग करते हुए 7 स्टार्टअप के आधिक्य में अतिरिक्त स्टार्टअप के लिए 0.5 एमएल/किलोवाट घण्टा के मानदण्ड के

अलावा कुल द्वितीयक तेल, ईंधन खपत के लिए ऊर्जा प्रभारों और क्षतिपूर्ति के अनुसार मासिक आधार पर कम यूनिट भार हेतु स्टेशन हीट दर तथा सहायक ऊर्जा खपत के लिए क्षतिपूर्ति हेतु एक मकैनिज्म तैयार करेंगे।

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./150(44)]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 115, तारीख 28.4.2010 को प्रकाशित किए गए थे, तथा मूल विनियम के प्रथम संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 60, तारीख 6 मार्च, 2012; मूल विनियम के द्वितीय संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 08, तारीख 6 जनवरी, 2014; और मूल विनियम के तृतीय संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 271, तारीख 10 अगस्त, 2015 में प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2016

No. L-1/18/2010-CERC: In exercise of powers conferred under clause (h) of subsection (1) of Section 79 read with clause (g) of sub-section (2) of Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Principal Regulations").

1. Short title and commencement:

(1) These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Fourth Amendment) Regulations, 2016.

(2) These Regulations shall come into force with effect from date of publication in Official Gazette except Sub-Regulation 6.3B which shall come into force on such date as the Commission may appoint by notification in the Official Gazette.

2. Amendment in Regulation 2 of Principal Regulations- Following new clauses shall be added after clause (iiii) of Sub-Regulation (1) of Regulation 2 of Principal Regulations as under, namely:

“(jjjj) Date of Commercial Operation or 'COD' shall have the same meaning as provided in Sub-Regulation 6.3A.1, 6.3A.2 and 6.3A.4 of these Regulations.

(kkkk) Trial Operation or Trial Run shall have the same meaning as provided in Sub-Regulation 6.3A.3 and 6.3A.5 of these Regulations.

(llll) Technical Minimum Schedule in respect of Central Generating Stations and inter-State Generating Stations shall have the same meaning as provided in Sub-Regulation 6.3B of these Regulations.”

3. Amendment in Regulation 6.1 of the Principal Regulations- Following clause shall be added after clause (d) of Principal Regulations:

“(e) Procedure for declaration of commercial operation of Central Generating Stations, inter-State Generating Stations and inter-State Transmission Systems, and technical minimum schedule for operation of the Central Generating Stations and inter-State Generating Stations”

4. Amendment in Regulation 6.2 of the Principal Regulations- Following shall be added at the end of first para of Regulation 6.2 of the Principal Regulations:

“This code also provides for the procedure and mechanism for declaration of commercial operation of Central Generating Stations, inter-State Generating Stations and inter-State Transmission System and technical minimum schedule for operation of Central Generating Stations and inter-State Generating Stations.”

5. Addition of new Regulations:

The following Regulations shall be added after Regulation 6.3 of the Principal Regulations:

“6.3A Commercial operation of Central generating stations and inter-State Generating Stations

1. Date of commercial operation in case of a unit of thermal Central Generating Stations or inter-State Generating Station shall mean the date declared by the generating company after demonstrating the unit capacity corresponding to its Maximum Continuous Rating (MCR) or the Installed Capacity (IC) or Name Plate Rating on designated fuel

through a successful trial run and after getting clearance from the respective RLDC or SLDC, as the case may be, and in case of the generating station as a whole, the date of commercial operation of the last unit of the generating station:

Provided that:

(i) Where the beneficiaries/buyers have been tied up for purchasing power from the generating station, the trial run or each repeat of trial run shall commence after a notice of not less than seven days by the generating company to the beneficiaries/buyers and concerned RLDC or SLDC, as the case may be.

(ii) Where the beneficiaries/buyers have not been tied up for purchasing power from the generating station, the trial run or each repeat of trial run shall commence after a notice of not less than seven days by the generating company to the concerned RLDC or SLDC, as the case may be.

(iii) The generating company shall certify that:

(a) The generating station meets the relevant requirements and provisions of the technical standards of Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulations, 2010 and Indian Electricity Grid Code, as applicable:

(b) The main plant equipment and auxiliary systems including Balance of Plant, such as Fuel Oil System, Coal Handling Plant, DM plant, pre-treatment plant, fire-fighting system, Ash Disposal system and any other site specific system have been commissioned and are capable of full load operation of the units of the generating station on sustained basis.

(c) Permanent electric supply system including emergency supplies and all necessary instrumentation, control and protection systems and auto loops for full load operation of unit have been put in service.

(iv) The certificates as required under clause (iii) above shall be signed by the CMD/CEO/MD of the generating company and a copy of the certificate shall be submitted to the Member Secretary of the concerned Regional Power Committee and the concerned RLDC/SLDC before declaration of COD. The generating company shall submit approval of Board of Directors to the certificates as required under clause (iii) within a period of 3 months of the COD.

(v) Trial run shall be carried out in accordance with Regulation 6.3A.3 of these Regulations.

(vi) Partial loading may be allowed with the condition that average load during the duration of the trial run shall not be less than Maximum Continuous Rating or the Installed Capacity or the Name Plate Rating excluding period of interruption and partial loading but including the corresponding extended period.

(vii) Where on the basis of the trial run, a unit of the generating station fails to demonstrate the unit capacity corresponding to Maximum Continuous Rating or Installed Capacity or Name Plate Rating, the generating company has the option to de-rate the capacity or to go for repeat trial run. Where the generating company decides to de-rate the unit capacity, the demonstrated capacity in such case shall be more or equal to 105% of de-rated capacity.

(viii) The concerned RLDC or SLDC, as the case may be, shall convey clearance to the generating company for declaration of COD within 7 days of receiving the generation data based on the trial run.

(ix) If the concerned RLDC or SLDC, as the case may be, notices any deficiencies in the trial run, it shall be communicated to the generating company within seven (7) days of receiving the generation data based on the trial run.

(x) Scheduling of power from the generating station or unit thereof shall commence from 0000 hrs after declaration of COD.

2. Date of commercial operation (COD) in relation to a generating unit of hydro generating station including pumped storage hydro generating station shall mean the date declared by the generating company after demonstrating peaking capability corresponding to the Installed Capacity of the generating station through a successful trial run, and after getting clearance from the respective RLDC or SLDC, as the case may be, and in relation to the generating station as a whole, the date of commercial operation of the last generating unit of the generating station.

Provided that:

(i) Where beneficiaries have been tied up for purchasing power from the generating station, trial run or each repeat of trial run shall commence after a notice of not less than seven days by the generating company to the beneficiaries and concerned RLDC or SLDC, as the case may be;

(ii) Where the beneficiaries/buyers have not been tied up for purchasing power from the generating station, the trial run shall commence after a notice of not less than seven days by the generating company to concerned RLDC or SLDC, as the case may be.

(iii) The generating company shall certify that:

(a) The generating station or unit thereof meets the requirement and relevant provisions of the technical standards of Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulations, 2010 and Indian Electricity Grid Code, as applicable:

(b) The main plant equipment and auxiliary systems including Drainage Dewatering system, Primary and Secondary cooling system, LP and HP air compressor, Firefighting system, etc. have been commissioned and are capable for full load operation of units on sustained basis.

(c) Permanent electric supply system including emergency supplies and all necessary Instrumentations Control and Protection Systems and auto loops for full load operation of the unit are put into service.

(iv) The certificates as required under clause (iii) above shall be signed by the CMD/CEO/MD of the generating company and a copy of the certificate shall be submitted to the Member Secretary of the concerned Regional Power Committee and concerned RLDC or SLDC, as the case may be, before declaration of COD. The generating company shall submit approval of Board of Directors to the certificates as required under clause (iii) within a period of 3 months of COD.

(v) Trial run shall be carried out in accordance with sub-Regulation 6.3A.3 of this Regulation.

(vi) Where on the basis of the trial run, a unit of the generating station fails to demonstrate the unit capacity corresponding to Maximum Continuous Rating or Installed Capacity or Name Plate Rating, the generating company shall have the option to either de-rate the capacity or to go for repeat trial run. If the generating company decides to de-rate the unit capacity, the demonstrated capacity in such cases shall be more or equal to 110% of de-rated capacity.

(vii) In case a hydro generating station with pondage or storage is not able to demonstrate the peaking capability corresponding to the installed capacity for the reasons of insufficient reservoir or pond level, the date of commercial operation of the last unit of the generating station shall be considered as the date of commercial operation of the generating station as a whole, and it will be mandatory for such hydro generating station to demonstrate peaking capability equivalent to installed capacity of the generating station or unit thereof as the case may be, as and when such reservoir/pond level is achieved:

(viii) If a run-of-river hydro generating station or a unit thereof is declared under commercial operation during lean inflows period when the water inflow is insufficient for such demonstration of peaking capability, it shall be mandatory for such hydro generating station or unit thereof to demonstrate peaking capability equivalent to installed capacity as and when sufficient water inflow is available. In case of failure to demonstrate the peaking capacity, the unit capacity shall be de-rated to the capacity demonstrated with effect from the COD.

(ix) The concerned RLDC or SLDC as the case may be, shall accord clearance to the generating company within seven (7) days of receiving the generation data based on the trial run.

(x) If the concerned RLDC or SLDC as the case may be, notices any deficiency in trial run, it shall be communicated to the generating company within seven (7) days of receiving the generation data based on trial run.

(xi) Scheduling shall commence from 0000 hrs after declaration of COD.

3. Trial Run or Trial Operation: Trial Run or Trial Operation in relation to a thermal Central Generating Station or inter-State Generating Station or a unit thereof shall mean successful running of the generating station or unit thereof on designated fuel at Maximum Continuous Rating or Installed Capacity or Name Plate Rating for a continuous period of 72 hours and in case of a hydro Central Generating Station or inter-state Generating Station or a unit thereof for a continuous period of 12 hours:

Provided that:

(i) The short interruptions, for a cumulative duration of 4 hours, shall be permissible, with corresponding increase in the duration of the test. Cumulative Interruptions of more than 4 hours shall call for repeat of trial operation or trial run.

(ii) The partial loading may be allowed with the condition that average load during the duration of the trial run shall not be less than Maximum Continuous Rating, or the Installed Capacity or the Name Plate Rating excluding period of interruption and partial loading but including the corresponding extended period.

(iii) Where the beneficiaries have been tied up for purchasing power from the generating station, the trial run or each repeat of trial run shall commence after a notice of not less than seven days by the generating company to the beneficiaries and concerned RLDC or SLDC, as the case may be.

(iv) Units of thermal and hydro Central Generating Stations and inter-State Generating Stations shall also demonstrate capability to raise load upto 105% or 110% of this Maximum Continuous Rating or Installed Capacity or the Name Plate Rating as the case may be.

4. Date of commercial operation in relation to an inter-State Transmission System or an element thereof shall mean the date declared by the transmission licensee from 0000 hour of which an element of the transmission system is in regular service after successful trial operation for transmitting electricity and communication signal from the sending end to the receiving end:

Provided that:

(i) In case of inter-State Transmission System executed through Tariff Based Competitive Bidding, the transmission licensee shall declare COD of the ISTS in accordance with the provisions of the Transmission Service Agreement.

(ii) Where the transmission line or substation is dedicated for evacuation of power from a particular generating station and the dedicated transmission line is being implemented other than through tariff based competitive bidding, the concerned generating company and transmission licensee shall endeavour to commission the generating station and the transmission system simultaneously as far as practicable and shall ensure the same through appropriate Implementation Agreement in accordance with relevant provisions of Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2014 or any subsequent amendment or re-enactment thereof. In case the transmission line or substation dedicated to a generator is being implemented through tariff based competitive bidding, then matching of commissioning of the transmission line/sub-station and generating station shall be monitored by Central Electricity Authority.

(iii) Where the transmission system executed by a transmission licensee is required to be connected to the transmission system executed by any other transmission licensee and both transmission systems are executed in a manner other than through tariff based competitive bidding, the transmission licensee shall endeavour to match the commissioning of its transmission system with the transmission system of the other licensee as far as practicable and shall ensure the same through an appropriate Implementation Agreement. Where either of the transmission systems or both are implemented through tariff based competitive bidding, the progress of implementation of the transmission systems in a matching time schedule shall be monitored by the Central Electricity Authority.

(iv) In case a transmission system or an element thereof is prevented from regular service on or before the Scheduled COD for reasons not attributable to the transmission licensee or its supplier or its contractors but is on account of the delay in commissioning of the concerned generating station or in commissioning of the upstream or downstream transmission system of other transmission licensee, the transmission licensee shall approach the Commission through an appropriate application for approval of the date of commercial operation of such transmission system or an element thereof.

(v) An element shall be declared to have achieved COD only after all the elements which are pre-required to achieve COD as per the Transmission Services Agreement are commissioned. In case any element is required to be commissioned prior to the commissioning of pre-required element, the same can be done if CEA confirms that such commissioning is in the interest of the power system.

(vi) The transmission licensee shall submit a certificate from the CMD/CEO/MD of the Company that the transmission line, sub-station and communication system conform to the relevant Grid Standard and Grid Code, and are capable of operation to their full capacity.

Note: Transmission Licensee referred to in this Sub-Regulation shall include "Deemed Transmission Licensee" as per the provision of the Act.

5. Trial run and Trial operation in relation to a transmission system or an element thereof shall mean successful charging of the transmission system or an element thereof for 24 hours at continuous flow of power, and communication signal from the sending end to the receiving end and with requisite metering system, telemetry and protection system in service enclosing certificate to that effect from concerned Regional Load Despatch Centre.

6. Date of commercial operation in relation to a communication system or an element thereof shall mean the date declared by the transmission licensee from 0000 hour of which a communication system or element thereof shall be put into service after completion of site acceptance test including transfer of voice and data to respective control centre as certified by the respective Regional Load Despatch Centre.

7. In the event of inconsistency between the provisions relating to trial operation and commercial operation as specified in Sub-Regulation 6.3A.1 to 6.3A.6 of these regulations and the provisions of Central Electricity Regulatory Commissions (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2014 or any subsequent enactment thereof, the provisions of these regulations shall prevail.

6.3B – Technical Minimum Schedule for operation of Central Generating Stations and Inter-State Generating Stations

1. The technical minimum for operation in respect of a unit or units of a Central Generating Station of inter-State Generating Station shall be 55% of MCR loading or installed capacity of the unit of at generating station.

2. The CGS or ISGS may be directed by concerned RLDC to operate its unit(s) at or above the technical minimum but below thenormative plant availability factor on account of grid security or due to the fewer schedules given by the beneficiaries.

3. Where the CGS or ISGS, whose tariff is either determined or adopted by the Commission, is directed by the concerned RLDC to operate below normative plant availability factor but at or above technical minimum, the CGS or ISGS may be compensated depending on the average unit loading duly taking into account the forced outages, planned outages, PLF, generation at generator terminal, energy sent out ex-bus, number of start-stop, secondary fuel oil consumption and auxiliary energy consumption, in due consideration of actual and normative operating parameters of station heat rate, auxiliary energy consumption and secondary fuel oil consumption etc. on monthly basis duly supported by relevant data verified by RLDC or SLDC, as the case may be.

Provided that:

(i) In case of coal/lignite based generating stations, following station heat rate degradation or actual heat rate, whichever is lower, shall be considered for the purpose of compensation:

S.No.	Unit loading as a % of Installed Capacity of the Unit	Increase in SHR (for supercritical units) (%)	Increase in SHR (for sub-critical units) (%)
1	85-100	Nil	Nil
2	75-84.99	1.25	2.25
3	65-74.99	2	4
4	55-64.99	3	6

(ii) In case of coal/lignite based generating stations, the following Auxiliary Energy Consumption degradation or actual, whichever is lower, shall be considered for the purpose of compensation:

Sl. No	Unit Loading (% of MCR)	% Degradation in AEC admissible
1.	85 – 100	NIL
2.	75 – 84.99	0.35
3.	65 – 74.99	0.65
4.	55 - 64.99	1.00

(iii) Where the scheduled generation falls below the technical minimum schedule, the concerned CGS or ISGS shall have the option to go for reserve shut down and in such cases, start-up fuel cost over and above seven (7) start/stop in a year shall be considered as additional compensation based on following norms or actual, whichever is lower:

Unit Size (MW)	Oil Consumption per start up (KI)		
	Hot	Warm	Cold
200/210/250 MW	20	30	50
500 MW	30	50	90
660 MW	40	60	110

(iv) In case of gas based Central Generating Station or inter-State Generating Station, compensation shall be decided based on the characteristic curve provided by the manufacturer and after prudence check of the actual operating parameters of Station Heat Rate, Auxiliary Energy Consumption, etc.

(v) Compensation for the Station Heat Rate and Auxiliary Energy Consumption shall be worked out in terms of energy charges.

(vi) The compensation so computed shall be borne by the entity who has caused the plant to be operated at schedule lower than corresponding to Normative Plant Availability Factor up to technical minimum based on the compensation mechanism finalized by the RPCs.

(vii) No compensation for Heat Rate degradation and Auxiliary Energy Consumption shall be admissible if the actual Heat Rate and/or actual Auxiliary Energy Consumption are lower than the normative Station Heat Rate and /or normative Auxiliary Energy Consumption applicable to the unit or the generating station.

(viii) There shall be reconciliation of the compensation at the end of the financial year in due consideration of actual weighted average operational parameters of station heat rate, auxiliary energy consumption and secondary oil consumption.

(ix) No compensation for Heat Rate degradation and Auxiliary Energy Consumption shall be admissible if the actual Heat Rate and/or actual Auxiliary Energy Consumption are lower than the normative station Heat Rate and /or normative Auxiliary Energy Consumption applicable to the unit or the generating station in a month or after annual reconciliation at the end of the year.

(x) The change in schedule of power under the provisions of Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services Operations) Regulations, 2015 shall not be considered for compensation.

4. In case of a generating station whose tariff is neither determined nor adopted by the Commission, the concerned generating company shall have to factor the above provisions in the PPAs entered into by it for sale of power in order to claim compensations for operating at the technical minimum schedule.

5. The generating company shall keep the record of the emission levels from the plant due to part load operation and submit a report for each year to the Commission by 31st May of the year.

6. NLDC shall prepare a Detailed Operating Procedure in consultation with the generators and beneficiaries at RPC forums within 2 months' time and submit to the Commission for approval. The Detailed Operating Procedure shall contain the role of different agencies, data requirements, procedure for taking the units under reserve shut down and the methodology for identifying the generating stations or units thereof to be backed down upto the technical minimum in specific Grid conditions such as low system demand, Regulation of Power Supply and incidence of high renewables etc., based on merit order stacking.

7. The RPCs shall workout a mechanism for compensation for station heat rate and auxiliary energy consumption for low unit loading on monthly basis in terms of energy charges and compensation for secondary fuel oil consumption over and above the norm of 0.5 ml/kWh for additional start-ups in excess of 7 start-ups, in consultation with generators and beneficiaries at RPC forum and its sharing by the beneficiaries.

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./150(44)]

Note : Principal Regulations were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 at Serial No. 115 on 28.4.2010, the first amendment to the Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 at Serial No.60 on 6th March, 2012; the second amendment to the Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 at Serial No.08 on 6th January, 2014; and the third amendment to the Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 at Serial No.271 on 10th August, 2015.